सेन्टर आफ इन्डियन ट्रेड यूनियन्स

द्वितीय सम्मेलन

प्रस्ताव

अझिकोडन राघवन नगर, एर्नाकुलम
१८-२२ अप्रैल १९७३

प्रस्ताव

शहीदों के बारे में

भारत के मजदूर वर्ग और मेहनतकश जनता के लिये लड़ते हुए जिन सैकड़ों लोगों ने प्राणों को बलि चढ़ाई है, सीआइटीयू का यह सम्मेलन उन्हें श्रद्धाञ्जलि अर्पित करता है। यह सभा उन साथियों की हिम्मत और बहादुरी को सलाम करती है, जिन्होंने कांग्रेस, सी० आर० पी० और पुलिस की गोलियों का सामना करके मजदूर वर्ग के हित की रक्षा के लिये चरम कुर्बानी की।

यह कांग्रेसी गुंडई के शिकार जनरल कौंसिल के मेम्बर और दमदम इलाके की यूनियनों के सम्मानित नेता कामरेड सुनील सेन, जनरल कौंसिल के सदस्य और केरल की जनता के प्यारे नेता कामरेड ओझिकोडन राघवन, जिनकी कांग्रेस और दक्षिणपंथी कम्युनिस्ट पार्टी की मिली जुली सरकार के गुंडों ने जान बूझकर हत्या की, इन दोनों साथियों को श्रद्धाञ्जलि अर्पित करती है। कामरेड राघवन को श्रद्धाञ्जलि अर्पित करते हुए यह सम्मेलन उन सैकड़ों शहीदों की स्मृति में श्रद्धाञ्जलि अर्पित करता है जिनकी पश्चिम बंगाल तथा दूसरे राज्यों में हत्या की गई।

हिन्दूस्तान का मजदूर वर्ग श्रद्धा और इज्जत के साथ इन शहीदों के नाम स्मरण करेगा।

●

शोक प्रस्ताव

सीआइटीयू का यह सम्मेलन ट्रेड यूनियन आन्दोलन के मृत नेताओं और सक्रिय कार्यकर्त्ताओं के लिए घोर शोक प्रकट करता है और उनकी स्मृति में श्रद्धाञ्जलि अर्पित करता है। सम्मेलन इनके शोकसंतप्त परिवारों के प्रति हार्दिक सहानुभूति प्रगट करता है।

यह सम्मेलन केरल की जनता के महान नेता, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) की केरल कमेटी के सेक्रेटरी और केरल में ट्रेड यूनियन आन्दोलन के प्रमुख संस्थापक कामरेड सी० एच० कनारन की मृत्यु पर शोक प्रकट करता है। उनकी मौत से केरल के जनवादी आन्दोलन को अपूरणीय नुकसान पहुँचा है। जनरल कौंसिल के मेम्बर, पश्चिम बंगाल के चाय बगान मजदूरों के नेता और मजदूर वर्ग के अथक योद्धा कामरेड राजेन सिंह की मौत पर यह सम्मेलन शोक प्रकट करता है।

●

वियतनाम की जनता के विजय के बारे में

अमरीकी साम्राज्यवाद के खिलाफ आजादी की लड़ाई में उत्तर और दक्षिण वियतनाम की वीर जनता ने जो महान् विजय हासिल की है, सम्मेलन उसका जय-जयकार करता है। दुनिया के सबसे प्रबल और आक्रमणकारी साम्राज्यवाद, विश्व साम्राज्यवाद की पुलिस, अमरीकी साम्राज्यवाद के खिलाफ इस महान् विजय के द्वारा वियतनाम की बहादुर और हिम्मती जनता ने सभी युगों की आजादी की लड़ाई के इतिहास का एक बहुत शानदार अध्याय लिखा है।

सम्मेलन जनवादी वियतनाम प्रजातन्त्र को हार्दिक बधाइयाँ देता है जिसने वर्कर्स पार्टी के नेतृत्व में वियतनाम के मजदूर वर्ग और जनता को इस महान् विजय को प्राप्त करने में समर्थ बनाया। सम्मेलन राष्ट्रीय आजादी मोर्चे को हार्दिक बधाइयाँ देता है जिसके राजनीतिक पथ-प्रदर्शन में दक्षिण वियतनाम की जनता अमरीकी सेना को निकाल बाहर करने की माँग हासिल की और अपने देश को फिर एक करने का रास्ता साफ किया।

इस विजय को हासिल करने के लिए वियतनाम की जनता को ३० बरसों तक लड़ना पड़ा और बड़ी कुर्बानियाँ करनी पड़ी, मुसीबतें उठानी पड़ी, विनाश सहना पड़ा, कत्लेआमों का सामना करना पड़ा। दूसरे महायुद्ध में पूरे यूरोप, उत्तरी अफ्रीका और प्रशान्त महासागर के क्षेत्र में जितने बम बरसाए गए; उसका तिगुने वियतनाम पर गिराए गए। उन्हें करीब-करीब अणुबम की बमबारी की सामना करना पड़ा। साम्राज्यवादियों और उनके दलालों ने लाखों मर्द, औरत और बच्चों की हत्या की, उनपर जुल्म किए और अपाहिज बनाया। कितने ही इलाकों में गाँवों का नामोनिशान मिटाया गया और रसायनिक युद्ध के जरिए बड़े पैमाने पर फसल बर्बाद की गई।

वियतनाम की जनता की यह मर्यादा और गौरव है कि वह वीरता के साथ जनवरी तक अन्तिम क्षण तक अडिग रही और साम्राजियों से घुटने टेकाए जब कि अमरीकी बमबारी के जरिए विशाल संख्या में हत्याकाण्ड पर तुले हुए थे।

सम्मेलन इसके बारे में सजग है कि लड़ाई के मैदान में हराए जाने पर भी अमरीमी साम्राज्यवादी जनता को विजय की जड़ काटने के लिये षड़यंत्रों में लगे हुए हैं।

वियतनाम जनवादी प्रजातंत्र के संयुक्त कमीशन के प्रतिनिधियों पर हमला और मारपीट, युद्ध-बन्दी कमीशन के कामों में जान बूझकर रोड़े अटकाना, थियू द्वारा युद्ध बन्द करने के समझौते को सैकड़ों बार तोड़ना, अस्थायी क्रान्तिकारी सरकार के इलाकों में अमरीकी हवाई जहाजों की मदद से खुले आम युद्ध, युद्ध के कैदियों को छोड़ने से इनकार और उनकी हत्या, इन सब बातों के जरिए युद्ध-बन्दी को अपनी चरम परिणति पर पहुँचने के खिलाफ अमरीकी षड़यंत्र कर रहे हैं।

सम्मेलन हिन्दूस्तान के मजदूर वर्ग और जनता को सजग रहने और अपनी आवाज बुलन्द करने को कहता है ताकि अपने वादों से बच निकलने और दक्खिन वियतनाम में लम्बी आपसी बड़ाई में फँसाने में अमरीकी साम्राज्यवादी सफल न हो सकें।

सम्मेलन को इस बात का पूरा विश्वास है कि दुनिया के मजदूर वर्ग समाजवादी देशों और जनवादी जनमत के समर्थन से वियतनाम की बहादुर जनता नए षड़यंत्रों को धूल में मिला देगी और वियतनाम की जनता युगान्तकारी संघर्षों का पूरा लाभ उठाएगी।

अन्तर्राष्ट्रीय एकजुटता के बारे में

मई दिवस के ठीक पहले होनेवाला सी० आई० टी० यू० का यह सम्मेलन साम्राज्यवाद के खिलाफ और आजादी, शान्ति, जनवाद और समाजवाद के लिए लड़नेवाले दुनिया के मजदूर वर्ग और मेहनतकशों को बिरादराना बधाइयाँ भेजता है।

सम्मेलन अन्तर्राष्ट्रीय मजदूर वर्ग से वादा करता है कि समाजवाद के सामान्य लक्ष्य के लिए वह लड़ाई जारी रखेगा, एकमात्र जिसके जरिए इजारेदारों का हैवानी शोषण खतम होगा और गरीबी तथा बेकारी का अन्त होगा।

सम्मेलन सोवियत संघ, जनवादी चीनी प्रजातंत्र तथा दूसरे समाजवादी देशों की जनता को मई दिवस की बिरादराना बधाइयाँ भेजता है। अर्थतंत्र, विज्ञान और संस्कृति के क्षेत्र में उनकी महान् सफलताओं पर सम्मेलन बधाइयाँ देता है और आगे के बरसों में उनकी अधिक सफलताओं की कामना करता है।

सीआईटीयू का यह सम्मेलन मानता है कि इन देशों में समाजवाद की सफलताएँ अन्तर्राष्ट्रीय मजदूर वर्ग की उपलब्धियाँ हैं। साम्राज्यवादी षड़यंत्रों और धमकियों के खिलाफ हम इनकी रक्षा का प्रण करते हैं।

साम्राज्यवाद को लड़ाइयों का कारण मानते हुए सम्मेलन प्रण करता है कि वह निरन्तर और अथक विश्वशान्ति के लिए काम करेगा। सम्मेलन का निश्चित विश्वास है कि साम्राज्यवाद के खातमे के बाद ही दुनिया लड़ाई के खतरे से मुक्त होगी।

सम्मेलन अन्तर्राष्ट्रीय मजदूर वर्ग के प्रधान शत्रु और युद्ध के प्रधान कारण अमरीकी साम्राज्यवाद के खिलाफ निरन्तर लड़ते जाने का प्रण करता है।

●

भारत-पाक युद्ध के बारे में

सी० आई० टी० यू० का यह सम्मेलन गहरे दुःख के साथ नोट करता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच नियंत्रण की रेखा सफलता के निश्चित हो जाने के बाद भी परिस्थिति निरुद्देश्य दिशा में जा रही है और दोनों देशों के बीच साधारण सम्बन्ध कायम करने के लिए असरदार कदम नहीं उठाए जा रहे हैं।

सी० आई० टी० यू० की राय है कि दोनों देशों और उपमहाद्वीप में दोस्ती और शान्ति का सम्बन्ध जनवादी और समाजवादी आंदोलनों के लिए बहुत जरूरी है। तनाव और विरोध के वर्षों और इनके बीच दो-दो युद्धों ने जनवाद और समाजवाद को बहुत नुकसान पहुँचाया है और प्रगति का रास्ता रोक दिया है।

सम्मेलन सम्बन्धित पार्टियों से जोरदार शब्दों में अनुरोध करता है कि वे युद्ध के बन्दियों के मामले का फैसला करें ताकि युद्ध में पकड़े गये और

हिन्दुस्तान में नजरबन्द अपने घर लौट सकें और पकिस्तान की जनता का एक घोर दुःख दूर हो। सम्मेलन इस बात की भी जोरदार माँग करता है कि पाकिस्तान में जो लाखों बंगाली नजरबन्द हैं और बंगलादेश लौटने के इच्छुक हैं उन्हें बंगलादेश लौटने दिया जाय।

कांफ्रेस की यह राय है कि उप-महाद्वीप के तीनों बड़ देशों में शांति और मित्रता का गहरा सम्बन्ध होना चाहिए। सम्मेलन इसे दुःख की बात समझता है कि करोड़ों जनता के बीच सम्बन्धों के प्रश्न को इस बात पर निर्भरशील बनाया जाता है कि दोनों देशों के राष्ट्रनेता पहले मिलें या एक देश को दूसरा देश स्वीकृति दे।

सम्मेलन पाकिस्तान के मजदूरों को हार्दिक और बिरादराना बधाइयाँ भेजता है जो हिन्दुस्ता के मजदूरों की ही तरह असहनीय आर्थिक हालतों के खिलाफ लड़ रहे हैं और संगठन बनाने के अधिकार और अपनी हालतें सुधारने के लिए घोर जुल्म के बावजूद लड़ते रहे हैं। यह सम्मेलन इस संघर्ष में उनकी सफलता की कामना करता है।

सम्मेलन पाकिस्तान की जनवादी पार्टियों और उन व्यक्तियों को बधाइयाँ देता है जो हिम्मत के साथ हिन्दुस्तान और पाकिस्तान के बीच दोस्ती और बंगलादेश की स्वीकृति के लिये आवाज बुलन्द कर रहे हैं। सम्मेलन उनकी सफलता की कामना करता है और उसे विश्वास है कि दोनों देशों की जनवादी और मजदूर वर्ग की शक्तियों में सहयोग कायम होगा, मानसिक संतुलन स्थापित होगा और दोनों के सम्बन्ध जल्द साधारण होंगे।

●

हरिजनों पर जुल्म के खिलाफ प्रस्ताव

आजादी के पचीस वर्ष बाद और इस वर्ष में जबकि तड़त-भड़क के साथ आजादी की रजत जयन्ती मनाई जा रही थी, हरिजनों पर हैवानी सामाजिक जुल्म और उनका शोषण जारी है। हरिजनों की उन्नति, सांविधानिक गारंटी, कानूनी रक्षा और व्यक्तिविशेष को ऊँचे पद देना, एक क्रूर मजाक साबित हुआ है। वर्ग के तौर पर हरिजन कांग्रेसी राज में अछूत पतित गुलाम माने जाते हैं। सी० आई० टी० यू० का यह सम्मेलन इस परिस्थिति के लिए भारत सरकार की निंदा करता है।

पिछले कई महीनों में भिन्न-भिन्न राज्यों में जैसे, महाराष्ट्र, गुजरात, बिहार, उत्तर प्रदेश वैगरह में हरिजनों पर बड़े पैमाने पर आक्रमण हुए हैं, उनपर बहुत घोर जुल्म और हत्या तक की गयी है, उनकी स्त्रियों के साथ छेड़खानी और उनपर बलात्कार भी किया गया है, उनके घरों और पूरे गाँवों को जलाया और सम्पत्ति बर्बाद की गई है। इस बर्बरता के खिलाफ शिकायत और जनआंदोलन को अनसुना कर दिया गया है; इन नागरिकों की रक्षा के लिए पुलिस और सरकार कुछ नहीं करती है। हरिजनों द्वारा कुओं, तालाबों, रास्तों, स्कूलों, होटलों, चायखानों का इस्तेमाल ऊँचे वर्गों, जमींदारों और महाजनों की दृष्टि में एक अपराध और विद्रोह माना जाता है, जिसके लिए उनकी हत्या, इनके घरों को जलाना, स्त्रियों के साथ बलात्कार और सम्पत्ति की बर्बादी की जाती है। संविधान में हरिजनों को नागरिक संस्थाओं और विधान सभाओं का अधिकार दिया गया है लेकिन निहित स्वार्थ वाले इसे बर्दाश्त के बाहर समझते हैं और कत्ल वगैरह की सजा देते हैं। कितनी ही जगहों में काँग्रेस पार्टी के आदमी इन अपराधों में हिस्सा लेते हैं।

हरिजनों पर होने वाले हैवानी जुल्म के प्रति काँग्रेस पार्टी और सरकार के इस कठोर रुख की सी० आई० टी० यू० का यह सम्मेलन निंदा करता है।

सी० आई० टी० यू० के इस सम्मेलन की यह निश्चित राय है कि हरिजनों की सामाजिक मुक्ति और आर्थिक उन्नति जनवाद और समाजवाद की आम लड़ाई का एक हिस्सा है। जितनी दूर तक सामाजिक और आर्थिक उन्नति का संघर्ष बढ़ता है, वह जनवादी आंदोलन और मजदूर वर्ग को एक साधारण उपलब्धि है।

सी०आई०टी०यू० का यह सम्मेलन ट्रेड यूनियन आंदोलन से अनुरोध करता है कि हरिजनों की सही मांगों को गम्भीरता के साथ अपनाएँ और सरकार, शोषक वर्गों और ऊँची जाति वालों के सामाजिक और राजनीतिक जुल्मों के खिलाफ हरिजनों की पूरी मदद करें।

सूचक अंक में जालसाजी

गुजर-बसर के खर्च के सूचक अंकों में लगातार हेरफेर करके भारत सरकार और राज्य सरकारें मजदूरवर्ग के मुनासिब मँहगाई भत्ते की बढ़ती में ठगहारी कर रही हैं। इसके लिए यह सम्मेलन इन सरकारों की निन्दा करता है।

कई वर्षों से इस देश का ट्रेड यूनियन आंदोलन सरकार के खिलाफ यह अभियोग लगा रहा है कि वह सूचक अंक तैयार करने में तिकड़म से काम ले रही है। ट्रेड यूनियन आंदोलन इसे सुधारने की माँग करता आ रहा है। बम्बई और अहमदाबाद के बारे में विशेषज्ञ कमेटी ने इस अभियोग को सच्चा साबित कर दिया है। हाल में तमिलनाडु के बारे में इस की मामले की जाँच करनेवाली एक गैरसरकारी कमेटी ने हिसाब लगाया है कि तमिलनाडु में सूचक अंक की जालसाजी कर मजदूरों का—रुपया ठगा जाता है। जुलाई १९७२ में जो वर्ष खत्म हुआ उसमें सारे देश में खाने पीने की चीजों के थोक दाम के सूचक अंक में १४·१ सैकड़ा उतार-चढ़ाव हुआ है। यद्यपि चीजों का फुटकर दाम इससे कहीं ज्यादा बढ़ा होगा और मजदूर वर्ग के गुजरबसर का खर्च और अधिक हुआ होगा फिर भी इस साल सरकारी सूचक अंक में ६·२ सैकड़ा की ही बढ़ती दिखाई गई है।

इस सम्मेलन की राय है कि गैरप्रतिनिधि और निराधार दामों को इकट्ठा करके ही यह जलसाजी की जाती है। खानेपीने की चीजों के दाम में जालसाजी की जाती है। कपड़े, साड़ियों और दूसरी चीजों के दामों में खुलेआम हेरफेर किया जाता है। घटिया किस्म की चीजों का दाम लिखने, काम में आनेवाली किसी चीज का दाम न लिखने और उसकी जगह कम दाम की चीज का दाम लिख लेना, जब लोगों को ज्यादातर चीजें चोरबाजार में खरीदनी पड़ती है, उस हालत में सरकारी उचित दाम वाली दुकानों के दाम लिखना—ये वे कुछ हथकण्डे हैं जिनके जरिए बेशरमी से मजदूरों को ठगा जाता है। पहले के सूचक अंक को बाद के सूचक अंक में बदलने में जालसाजी करके मजदूरों को ठगा जाता है। प्रस्तावित नयी सिरिज में इस ठगहारी की यह सम्मेलन कड़ी निन्दा करता है। यह सम्मेलन माँग करता है कि ट्रेड यूनियन केन्द्रों के उचित संख्या में प्रतिनिधियों को लेकर एक विशेषज्ञ कमेटी बनायी जाय जो जालसाजी कहाँ से पैदा होती है, इसका पता लगाये और उसे सुधारने का रास्ता बताये, पुरानी सिरीज में बदलने में जो

ठगबाजी की जाती है उसे भी बन्द कराये । सम्मेलन माँग करता है कि चीजों के दाम के बारे में जो सामग्री इकट्ठी की जाती है और उससे कीमतों के बारे में जो तथ्य प्रकाशित किये जाते हैं उनकी देखभाल के लिए ट्रेडयूनियन के प्रतिनिधियों को भी सम्मिलित किया जाय ।

यह सभा सभी ट्रेड यूनियन केन्द्रों से अपील करती है कि वे संयुक्त आंदोलन के जरिए सरकार की इस जालसाजी को बन्द कराने के लिए आगे बढ़ ।

प्राविडेन्ट फण्ड के बारे में

मालिकों द्वारा प्राविडेन्ट फंड की रकम जो ३२ करोड़ तक पहुँच गई है, उसे जमा न देने पर यह सम्मेलन घोर चिन्ता प्रगट करता है । मालिकों ने बहुत बड़ी रकम हड़प जाने का अपराध किया है । कितने ही मालिकों ने लाखों मजदूरों को मेम्बरी से अलग रखा है ताकि वे प्राविडेण्ट फंड में अपना हिस्सा देने से बच जायँ । प्राविडेण्ट फंड के अधिकारी मजदूरों की इस विशाल धनराशि के ट्रस्टी हैं । वर्षों से उन्होंने इस रकम को वसूल करने के लिए कोई गम्भीर कदम नहीं उठाया है । और न तो मालिकों को वह मामूली सजा ही दिलाई है जिसकी व्यवस्था त्रुटिपूर्ण प्राविडेन्ट फंड कानून में है । जहाँ कहीं भी मजदूरों के पैसा हड़पनेवाले मालिकों के खिलाफ प्राविडेन्ट फण्ड के कमिश्नर कानूनी कार्रवाई करते हैं और बकाया के लिये मालिकों के स्टाक की कुर्की कराते हैं, वहीं केन्द्रीय या राज्य सरकारें उन्हें ऐसा करने से यह बहाना बनाकर रोकती है कि कारखाना बन्द हो जायगा । इसकी वजह से जो मालिक नियमित रूप से प्राविडेन्ट फंड का पैसा देते थे वे भी अब बाकी रखते जा रहे हैं । विशाल संख्यक मजदूरों को प्राविडेन्ट फण्ड डिपार्टमेंट ही उनका हिसाब नहीं भेजता है । संक्षेप में जो नाममात्र की सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था और कानून हैं, वे भी टूटते जा रहे हैं ।

मजदूरों की गाढ़ी कमाई को हड़प जाने में केन्द्रीय और राज्य सरकारें मदद कर रही हैं । यह सम्मेलन इसकी निन्दा करता है ।

यह सम्मेलन माँग करता है कि प्राविडेन्ट फंड कानून में बुनियादी सुधार किया जाय ताकि ट्रेड युनियनों की कड़ी देखरेख में प्राविडेन्ट फण्ड के कमिश्नर मजदूरों के फायदे के लिए काम करें; कमिश्नरों को अधिकार दिया जाय कि

वे बकाया रखने वाले मालिकों की सम्पत्ति की कुर्की करा सकें और कम्पनियों की सम्पदा से सबसे पहले प्राविडेन्ट फंड का पैसा वसूल कर सकें। कमिश्नरों को यह अधिकार भी दिया जाना चाहिए कि वे सीधे मजदूरों का पैसा हड़पने वाले मालिकों को सीधे सजा दे सकें।

बगीचा मजदूरों के बारे में

सीआईटीयू का यह सम्मेलन बगीचा (प्लैन्टेशन) वर्कर्स फेडरेशन ने अपनी माँगों के चार्टर को हासिल करने के लिए सारे देश में जो आंदोलन शुरू किया है, उसका हार्दिक समर्थन करता है।

हिन्दुस्तान के बगीचा उद्योगों पर मुख्यतः विदेशी इजारेदारों का कब्जा है और ये उद्योग काफी विदेशी मुद्रा कमाकर लाते हैं। इनमें हिन्दुस्तान के सभी संगठित उद्योगों से अधिक मुनाफा होता है लेकिन ये मजदूरों को सबसे कम मजदूरी देते हैं। इस उद्योग में महँगाई भत्ते को गुजरबसर के सूचक अंक से नहीं जोड़ा गया है। केरल में सिर्फ आंशिक रूप से ही जोड़ा गया है। इस उद्योग में सारे देश में मर्दों और औरतों की मजदूरी में अन्तर रहता है। बगीचा मजदूर कानूनों (प्लैन्टेशन लेबर ऐक्टस) में रहने के लिए घर-दवा, दारू और दूसरे जो मामूली सुभीते देने की बात कही गयी हैं, वे भी नहीं दिये जाते हैं।

सबसे ऊपर, दार्जिलिंग के पहाड़ी इलाके के चाय बगान मालिक चाय के नये पौधों को न लगाने की वजह से पैदावार की कमी का बोझ तलब में कटौती, बगानों को बन्दी वगैरह के जरिए मजदूरों के कन्धों पर लादना चाहते हैं।

सीआईटीयू का यह सम्मेलन बगीचा मजदूरों की नीचे लिखी माँगों का समर्थन करता है :—

(१) जरूरत के मुताबिक ३०० रुपये माहवार की कम से कम तलब।

(२) महँगाई भत्ते को गुजरबसर के खर्च के सूचक अंक से जोड़ा जाय और महँगाई के लिए पूरा हर्जाना दिया जाय।

(३) मर्दों और औरतों को बराबर तलब दी जाय।

(४) बगीचा जैसा भी क्यों न हो, ८·३३ कम से कम बोनस दिया जाय।

(५) बगीचा मजदूर कानून पूरी तरह चालू किया जाय।

(६) कैज्युअल, ठेकेदार के और गैरबासिन्दा मजदूरों समेत सभी मजदूरों को नोकरी पक्की की जाय।

(७) सभी बन्द बागानों को फौरन खोला जाय और तलब में कटौती वगैरह के सारे प्रस्तावों को रद्द किया जाय।

(८) सभी बगानों और इनसे पैदा होनेवाली चीजों के व्यापार का राष्ट्रीयकरण किया जाय।

बीमार मिलों को लेने के बारे में कानून

देश के औद्योगिक कारखानों का लम्बे अरसे तक औरब ढ़ती हुई बन्दी से पैदा हुई परिस्थिति का मुकाबला करने के लिए और छँटनी, तलब में कटौती, कानूनी सुभीतों से वंचित होने से भूखे मजदूरों को मालिकों के बढ़ते हुए दबाव के सामने झुकने से बचाने के लिए देश का ट्रेडयूनियन आन्दोलन सरकार से यह बराबर माँग करता आ रहा है कि वह इन कारखानों को अपने कब्जे में लेकर चलाये और ऐसी व्यवस्था करे कि मजदूरों के पावने, उनके अधिकार, सुभीते और संख्या के अलावा इन कारखानों की कोई देनदारी सरकार पर न हो।

सी० आई० टी० यू० का यह सम्मेलन घोषणा करता है कि बीमार मिलों (संचालन लेने के बारे में) १९७२ का कानून इस उद्देश्य की ही जड़ काटता है जिसके लिए ट्रेड यूनियन आन्दोलन ने यह मांग की।

सरकार का घोषित उद्देश्य है कि जिन मिलों का संचालन वह अपने हाथ में लेगी उनका आधुनिकीकरण करेगी और इससे मजदूरों की संख्या घटेगी, मजदूरों की छँटनी होगी।

सरकार द्वारा संचालन का भार लिए हुए कारखानों में पहले के सभी समझौते, अवार्ड, स्थायी आदेश और दूसरे मजदूर सम्बन्धी कानूनों का अमल में लाना बन्द रहेगा। इसका मतलब बिना हरजाने के छँटनी का रास्ता साफ करना, काम का बोझ बढ़ाना, मजदूरी घटाना और समझौतों, अवार्डों और कानूनों से मजदूरों को जो आर्थिक फायदा पहुँचता है उसको खत्म करना, इंडस्ट्रीयल डिस्प्युट ऐक्ट का लागू रखना बन्द रखने से मजदूरों के लिए कानून का सहारा लेना बन्द हो जायगा। साथ ही मालिकों को यह अधिकार दिया गया है कि कारखाने को लेने के पहले सरकार ने उनसे जो कन्ट्रैक्ट किया है अगर उसे सरकार या

उसके प्रतिनिधि रद्द करते हैं या उसमें तब्दीली करते हैं तो मालिकों को दीवानी अदालत में जाने का अधिकार होगा।

सिर्फ संचालन को अपने हाथों में लेने के लिए काफी हर्जाने की व्यवस्था की गई है। और इसके खिलाफ कोई व्यवस्था न होने की वजह से इस कानून के जरिए जनता के पैसे से और सभी क्रूर तरीकों से ली हुई मिलों को सरकार अपने पैरों पर खड़ी होने के लायक बना देगी। और बीच की अवधि के लिए मालिकों को इनाम देगी।

यह सम्मेलन घोषित करता है कि खुद सरकार मजदूरों पर उन हैवानी हालतों को लादकर जिन्हें बदनाम मालिक भी अपनाने की हिम्मत नहीं करते, संकट से पूँजीपतियों को उबारना चाहती है।

सी० आई० टी० यू० का यह सम्मेलन सरकार से माँग करता है कि वह मजदूर विरोधी इस कानून को रद्द करे और इसकी जगह एक नया कानून बनाये जिसमें ट्रेडयूनियन आन्दोलन के बताए हुए, मूल उद्देश्य शामिल हों।

मँहगाई के बारे में

सी० आई० टी० यू० का यह सम्मेलन सभी जरूरी चीजों का और खास करके अनाज के दाम में लगातार बढ़ती पर घोर चिन्ता प्रगट करता है। मेहनतकश जनता के सभी हिस्सों, किसानों, खेतमजदूरों, शिक्षकों, कर्मचारियों, औद्योगिक मजदूरों और विद्यार्थियों, जिनकी जिन्दगी दूभर हो गई है, उनके प्रति यह सम्मेलन एकजुटता प्रकट करता है। बजट के बाद जो महँगाई बढ़ी है उसने साधारण जनता की जिन्दगी को और भी बर्बाद कर दिया है। खुद मजदूरवर्ग, जिसका महँगाई भत्ता मनमाने ढंग से तय किया गया है, जालसाजी करके जिसके गुजर बसर का सूचक अंक तै किया गया है और जिसे मँहगाई का पूरा हर्जाना नहीं दिया जाता है, महँगाई के लिए उसे ही ज्यादा मुसीबत झेलनी पड़ती है। असंगठित क्षेत्र के मजदूरों और खेतमजदूरों को जिन्हें महँगाई भत्ता नहीं मिलता है, उन्हें महँगाई पंगु बना देती है।

यह सम्मेलन मेहनतकशों के सभी हिस्सों और ट्रेड यूनियन आन्दोलन का ध्यान इस ओर खींचता है कि खाने पीने की जरूरी चीजों पर टैक्स लगाने और घाटे का बजट पेश करने की भारत सरकार की दिवालिया नीति ही खास तौर से और सीधे घोर महँगाई के लिए जिम्मेदार है। बजट में रेलों के यात्रियों का और माल का किराया और आम बजट में टैक्सों की बढ़ती के बाद अचानक

और तत्काल कीमतों का बढ़ना इसी सच्चाई का सबसे ताजा उदाहरण है। १९७३-७४ के बजट में भारी घाटे की सम्भावना से हालत बहुत संगीन हो जायगी।

सरकारी नीतियों के चलते आम मुद्रास्फीति से फायदा उठाकर इजारेदार, जमींदार, थोक कारबारी और सट्टेबाज चीजों की कीमत और बढ़ाकर जनता को लूट रहे हैं। सरकार की तरफ से कोई रोक थाम न होने की वजह से छिपाया हुआ पैसा इस काम में बहुत बड़े पैमाने पर लगाया जा रहा है।

सम्मेमन इस बात को प्रगट कर देना चाहता है कि घोर महँगाई से चीजों की खपत घटती है और घाटे के बजट से मेहनतकशों की आमदनी घटाकर साधारण लोगों का पैसा बड़े पूँजीपतियों और सरकार के पास पहुँचाया जाता है ताकि इस देश में पूंजीवाद को बढ़ाने के लिए और भी ज्यादा पूँजी जुटाई जा सके।

सम्मेलन इस बात की चेतावनी देना चाहता है कि अगर मजदूरवर्ग इन नीतियों को और सरकार को हराने के लिए अपने को संगठित नहीं करता है और इस काम में अपने साथ जनवादी जनता को नहीं लेता है तो आगे भी जनता को ये आक्रमण और तकलीफें उठानी पड़ेंगी। इसीलिए यह सम्मेलन सभी केन्द्रीय ट्रेड यूनियन संगठनों, दूसरे जनसंगठनों और जनवादी राजनीतिक पार्टियों से अनुरोध करता है कि वे एक होकर नीचे लिखी माँग करें और इसके लिए लड़ें :

(१) घाटे का बजट बनाना बन्द करके और रेल का, माल के किराये में बढ़ती को वापस लेकर और नयी उगाही को बन्द करके जरूरत के काम में आनेवाली चीजों से टैक्सों को घटाकर सरकार कीमतों का बढ़ना तत्काल असरदार तरीके से रोके।

(२) जनवादी पार्टियों और जनसंगठनों के दिखाये रास्ते और उनकी देखरेख में जिन्दगी के काम में आनेवाली जरूरी चीजों के थोक व्यापार का राष्ट्रीयकरण किया जाय।

(३) जमींदारों, अतिरिक्त माल रखनेवालों और थोक व्यापारियों का सारा स्टाक सरकार अपने हाथ में ले।

(४) किसानों को उनकी पैदावार के लिए उचित दाम की गारंटी दे।

(५) जरूरी चीजें उचित दाम पर दी जायँगी, इसकी पूरी गारंटी दे।

(६) सभी रोजी कमानेवालों को चीजों की कीमत बढ़ती के लिए पूरा हर्जाना दे या बढ़ती के असर को समाप्त करे।

(७) उचित परिमाण में बराबर अन्न की सप्लाई की जाय।

जनवादी आन्दोलन के दमन के खिलाफ

केन्द्रीय और राज्य सरकारों द्वारा संघर्ष में लगे मजदूरों, किसानों, खेत मजदूरों, शिक्षकों, विद्यार्थियों, केन्द्रीय और राज्य सरकारों के कर्मचारियों और मजदूरी करने वाले दूसरे हिस्सों तथा आर्थिक मांगों, जमीन और जनवादी अधिकारों के लिए लड़नेवाली जनवादी जनता के आन्दोलनों के हैवानी और बर्बतापूर्ण दमन की सीआईटीयू का यह सम्मेलन कड़ी निन्दा करता है।

लाठियों और गोलियों की वर्षा सभी राज्यों में एक आम घटना बन गई है। सीआरपी को बुलाना और बात-बात में जुल्म ढाना बहुतेरे राज्य सरकारों के लिए मामूली बात बन गई है। बड़े जन आन्दोलनों में शामिल होने वालों की बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियाँ, जेलों के अन्दर जेल के कायदे के मुताबिक अधिकारों को न देकर बन्दियों को परेशान करना और माफीनामा लिखाकर उन्हें छोड़ना परिस्थिति की खास बात बन गई है। एसेन्सियल सर्विसेज मेन्टीनेंस एक्ट, भारत रक्षा कानून, पी० डी० ए० और दूसरे कानूनों का धड़ल्ले के साथ इस्तेमाल करके हड़तालों को गैर कानूनी घोषित किया जाता है और इनमें शामिल होने वालों को गिरफ्तार किया जाता है। संघर्षों और जन आन्दोलनों के वक्त दफा १४४ जारी कर देना कितने ही राज्यों के लिए साधारण बात बन गई है। हड़तालों, जनवादी आन्दोलनों को तोड़ने के लिये दलालों की मदद लेने के अलावा पुलिस की मदद से बाहर वालों को लाना मालिकों और सरकारों के लिये आम बात बन गई है।

कितनी ही जगहों में हड़ताली मजदूरों की हड़ताल को कुचलने के लिए दफा ३०७ (हत्या की कोशिश) का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जा रहा है। ट्रेड यूनियन नेताओं की हत्याएँ, शासक वर्ग की पार्टी के हथियारों से लैस लोगों का पुलिस की मदद से इस्तेमाल करके शांतिपूर्ण हड़तालियों पर हमले करना, उन्हें क्वार्टरों से निकालना, मजदूरों की हत्याएँ, यूनियनों के दफ्तरों पर जबर्दस्ती कब्जा जिन घृणित हथकण्डों को पश्चिम बंगाल में बड़े पैमाने पर अपनाया गया था, उन्हें छोटे पैमाने पर उन कितने ही राज्यों में अपनाया जा रहा है जहां आन्दोलन तेज हो रहा है।

सम्मेलन इस अभूतपूर्व और बढ़ते हुए दमन को शासक वर्ग की उस कार्रवाई का हिस्सा समझता है जिसके द्वारा वह सभी जनवादी अधिकारों को समाप्त करना और एक पार्टी की तानाशही कायम करना चाहती है ताकि घोर आर्थिक संकट का बोझ शासक वर्ग उस जनता पर लाद सके जिसमें असंतोष बढ़ता जा रहा है और जो प्रतिरोध के रास्ते पर बढ़ रही है।

सम्मेलन मांग करता है कि :

१. मजदूर वर्ग, किसानों और सभी राज्यों के जनवादी आन्दोलनों पर सभी तरह के जुल्म बन्द किये जायें ।

२. सभी काले कानूनों—भारत रक्षा कानून, मिसा, पी० डी० ऐक्ट रद्द किये जायें ।

३. मजदूर वर्ग या किसानों या जनवादी आन्दोलनों में पुलिस का इस्तेमाल केन्द्रीय या सभी राज्य सरकारें बन्द करें ।

४. शासक वर्ग के हथियारों से लैस लोगों की पुलिस द्वारा मदद या उनके हमला करने पर पुलिस का अलग रहना बन्द होना चाहिए ।

५. मजदूर वर्ग के जनवादी आन्दोलन के सिलसिले में गिरफ्तार या नजरबन्द सभी लोगों को फौरन छोड़ा जाय । उनके खिलाफ सभी मुकदमें वापस लिए जायें । जबतक यह नहीं किया जाता है तब तक उन्हें राजनीतिक बन्दी माना जाय और "विशेष" क्लास में रखा जाय ।

सम्मेलन गर्व और प्रशंसा के साथ नोट करता है कि मजदूर वर्ग और मेहनतकशों के जिन हिस्सों में सी० आई० टी० यू० यूनियन या उसकी बिरादराना संस्थाएँ काम करती हैं, वे हैवानी और बर्बरतापूर्ण हमलों की परवाह नहीं करके बहादुरी के साथ लड़ती रही हैं और शानदार सफलताएँ भी हासिल की हैं । मजदूरों और किसानों की सभी केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों और जनवादी जनता के सभी हिस्सों से सम्मेलन अनुरोध करता है कि वे परिस्थिति की गम्भीरता को समझें और ट्रेड यूनियन और जनवादी अधिकारों की रक्षा के लिए एक मोर्चे में संगठित हों ताकि देश में एक पार्टी की तानाशाही कायम करने को रुझान को रोका जा सके ।

सारे देश के बीड़ी मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी के बारे में

सी० आई० टी० यू० का यह सम्मेलन इस बात को नोट करता है कि देश के बीड़ी मजदूरों के लिए कम से कम मजदूरी की दर नहीं निश्चित की गई है । भिन्न-भिन्न जगहों में भिन्न-भिन्न मजदूरी की दर चालू है । बीड़ी

मजदूरों के आन्दोलन को हराने के लिये मालिक अपना कारोबार अस्थायी में उन जगहों में ले जाते हैं जहाँ मजदूरी कम है।

इस हालत में बीड़ी मजदूर बीड़ी उद्योग में सारे देश के पैमाने पर कम से कम मजदूरी निश्चित कर देने के लिए आन्दोलन करते आ रहे हैं।

सितम्बर १९७२ में मंगलोर में होने वाले दक्षिण भारत के बीड़ी मजदूरों के सम्मेलन ने माँग की है कि गुजर बसर के खर्च से जुड़े हुए महँगाई भत्ते के साथ एक हजार बीड़ी बांधने के लिए कम से कम साढ़े पाँच रुपये मजदूरी दी जाय। यह सम्मेलन इस माँग को बहुत वाजिब समझता है और सारे देश के ट्रेड यूनियन आंदोलन से अनुरोध करता है कि वह इस माँग का समर्थन करें।

केरल में साढ़े पाँच रुपये की मजदूरी चालू है। इस बात को देखते हुए भी कर्नाटक की सरकार ने इस राज्य में साढ़े चार रुपये मजदूरी निश्चित की है। दिल्ली में होनेवाले राज्य श्रममंत्रियों के सम्मेलन में, जिसका सभापतित्व केन्द्रीय श्रममंत्री ने किया, हजार बीड़ी के लिए सवा तीन रुपये से साढ़े तीन रुपये कम से कम मजदूरी की बात कही गई, साथ ही यह भी कहा गया कि जिन लोगों को साढ़े तीन रुपये मजदूरी मिलती है उनकी मजदूरी न बढ़ाई जाय। सम्मेलन की राय है कि बराबर मजदूरी के ढाँचे के नाम पर भारत सरकार ने विशाल संख्यक मजदूरों की मजदूरी में बढ़ती को बन्द कराकर असंगठित मजदूरों के लिए अपनी चिंता के पाखंड को प्रगट किया है।

सी० आई० टी० यू० का यह सम्मेलन केन्द्रीय और राज्य सरकारों से माँग करता है कि वे अपने फैसले को रद्द करें और गुजर बसर के सूचक अंक के साथ सम्बन्धित महँगाई भत्ते के साथ कम से कम साढ़े पाँच रुपये हजार बीड़ी की मजदूरी निश्चित करें जैसी कि दक्षिण जोन के बीड़ी मजदूर सम्मेलन ने माँग की है।

सम्मेलन बीड़ी मजदूरों की नौ सूत्री माँगों के चार्टर का समर्थन करता है और दक्षिण जोन के बीड़ी मजदूरों ने १२ मार्च १९७२ को एक दिन की जो सफलतापूर्ण हड़ताल की है, उसके लिए उन्हें बधाइयाँ देता है।

सारे देश के बीड़ी उद्योग की ट्रेड यूनियनों से सम्मेलन अनुरोध करता है कि वे एक होकर अपनी वाजिब माँगों के लिए लड़ें। सम्मेलन केन्द्रीय ट्रेड यूनियन संस्थाओं से अपील करता है कि वे इन सताये हुए मजदूरों की लड़ाई का समर्थन करें।

तेल के इजारेदारियों का राष्ट्रीयकरण

तेल कम्पनियों के साथ समझौता देश के लिए एक अभिशाप साबित हुआ है। फिर भी सम्मेलन इस बात को देखकर बहुत चिंतित है कि तेल के इन इजारेदारों के साथ सरकार दो मुँहो नीति अपना रही है। इन समझौतों के चलते हिन्दुस्तान को विदेशों से मँगाये गये क्रूड तेल और पेट्रोलियम के समान के लिए ज्यादा दाम देने के लिए मजबूर किया गया है। इन कम्पनियों ने गेरकानूनी तरीके से अपना पैदावार बढ़ाया है और इतना ज्यादा मुनाफा कमाया है कि वह उनकी कुल लगाई गई पूँजी से ज्यादा है। इस पूँजी को देश में जो तेल मिल सकता है उसके विकास में न लगाकर वे अपने-अपने देशों में ले जा रही हैं।

सरकार सस्ते दाम में विदेशों से जो तेल मँगाती है उसे रिफाइन करने से इन विदेशी कम्पनियों ने इन्कार कर दिया और पाकिस्तान से लड़ाई के वक्त तेल की सप्लाई को चौपट किया है। इन तेल कम्पनियों को बिक्री बहुत बढ़ जाने पर भी इन्होंने अपने ज्यादातर कर्मचारियों की छँटनी कर दी है। यह सब होते हुए भी भारत सरकार इन विदेशी इजारेदारों के साथ मिलकर काम करना चाहती है जिसका मतलब होता है इनके अपराधजनक कुकर्मों का समर्थन करना।

सी० आई टी० यू० का यह सम्मेलन सरकार की विदेशी तेल कम्पनियों से समझौते और उनके सामने आत्मसमर्पण की नीति की निंदा करता है और माँग करता है कि बिना किसी हर्जाना के इन तेल कम्पनियों का फौरन राष्ट्रीयकरण किया जाय।

इनके फौरन राष्ट्रीयकरण से देश को विशाल विदेशी मुद्रा की बचत होगी, विदेशों से मँगाये जाने वाले क्रूड तेल सस्ता होगा, पेट्रोलियम के सामान सस्ते होंगे। देश में अधिक तेल का पता लगाना और उन्हें रिफाइन करने का काम बढ़ाया जा सकेगा।

बेकारी के बारे में

औद्योगिक मजदूरों, मध्यमवर्ग के शिक्षितों और देहात के गरीबों में बेहिसाब बढ़ती हुई बेकारी से पैदा हुई परिस्थिति पर सी० आई० टी० यू० का यह सम्मेलन चिंता प्रगट करता है ।

काम दिलाऊ दफ्तरों में सरकारी आंकड़ों के मुताबिक ६८ लाख ९० हजार लोग बेकार हैं, जिसमें २५ सैकड़ा शिक्षित बेकार हैं । देहातों में बेकारों की संख्या बढ़कर ३ करोड़ हो गई है । शहरी और देहाती बेकारों की संख्या ४ करोड़ से ज्यादा है । एक हिसाब के अनुसार १९८० तक बेकारों की संख्या कम से कम ७ करोड़ हो जायगी ।

इस तरह की परिस्थिति से लाखों बेकार नौजवानों में घोर निराशा और गरीबी पैदा होती है । औद्योगिक मजदूरों, मध्यम वर्ग के कर्मचारियों और देहात के गरीबों की गरीबी बढ़ती चली जाती है ।

यह सम्मेलन दावे के साथ कहता है कि यह बेकारी कांग्रेस पार्टी की पूंजीवादी योजना की वजह से हो रही है, जिसे कांग्रेस पार्टी जमीन के सामंती सम्बन्धों और विदेशी तथा देशी इजारेदार पूँजीपतियों के भरोसे चला रही है । अन्तर्राष्ट्रीय मजदूर वर्ग का यह अनुभव है कि पूँजीवाद के साथ बेकारी का चोलीदामन का सम्बन्ध है । बेकारी को खत्म करने के लिए पूँजीवाद को खत्म करना और समाजवाद कायम करना जरूरी है ।

सम्मेलन लाखों बेकारों का ध्यान इस बात की ओर खींचना चाहता है कि एक ओर सरकार बेकारों के लिए चिल्लाकर चिंता प्रगट करती है और इसे रोकने की बातें करती है लेकिन यथार्थ में वह कपड़ा मिलों और चटकलों के पूंजीपतियों को आधुनिकीकरण के लिए धन देकर, कितने ही उद्योगों में आटोमेटिक मशीनें चालू कर, खेती बारी में अधिक मशीनों का इस्तेमाल कर और अगले पाँच वर्षों में १३ सौ इलेक्ट्रोनिक कम्प्युटरों को बनाकर बड़े पैमाने पर छँटनी और काम पाने की संभावनाओं को समाप्त कर रही है । पाँचवीं योजना की अवधि में बेकारी घटाने के सारे प्रस्ताव, "काम दिलाने वाली स्कीमें" और एक बड़ी रकम खर्च करने की बात वैगरह ढाढ़स देने की बातें हैं । इनसे न तो काफी रिलीफ मिलेगा और न बुनियादी तौर से समस्या का समाधान होगा बल्कि इनसे सरकार की काम के मौकों को खत्म करने की नीति पर पर्दा डालने का समर्थन किया जायगा ।

3

सम्मेलन मांग करता है कि —

१ काम पाने की गारंटी संविधान के बुनियादी अधिकारों में शामिल किया जाय ।

२ सभी बेकारों और कम बेकारों (अन्डरहम्प्लायड) लोगों की अनिवार्य रजिष्ट्री हो ।

३ सिनियारिटी के मुताबिक कामदिलाऊ दफ्तरों के जरिये अनिवार्य रूप से लोगों को काम पर रखा जाय ।

४ बेकारी में रिलीफ के लिए काम देना सरकार की जिम्मेदारी मानी जाय ।

५ किसानों को जमीन से बेदखल करना बन्द किया जाय ।

६. घरेलू और छोटे पैमाने के उद्योगों को मदद और कर्ज दिया जाय । देहातों में पुनःनिर्माण के काम को बढ़ाया जाय । निःशुल्क प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा चालू की जाय ।

७. छँटनी, लेआफ, तालाबन्दी, क्लोजर, आटोमेशन और कम मजदूरों से ज्यादा काम कराने के सभी तरीकों को बन्द किया जाय ।

८ सभी उद्योगों की जितनी शक्ति है उसका पूरा इस्तेमाल किया जाय ।

सम्मेलम देश के लाखों बेकारों से अनुरोध करता है कि वे संगठित होकर ऊपर लिखी माँगों के लिए लड़ें और जिस बुनियादी सामाजिक परिवर्तन से समस्या का समाधान होगा । उसके लिए लड़नेवाले जनवादी आंदोलन से अपने आंदोलन को मिलाएं ।

सम्मेलन मजदूर वर्ग और ट्रेड यूनियन आंदोलन को इस बात की चेतावनी देता है कि अगर बेकारों को काम पाने के अधिकार का संगठित मजदूर डट कर समर्थन नहीं करते हैं तो ट्रेड यूनियन आंदोलन का अस्तित्व खतरे में पड़ जायगा । इसीलिए सम्मेलन ट्रेडयूनियनों से अनुरोध करता है कि वे ऊपर लिखी माँगों के आंदोलन का नेतृत्व करें और मजदूर वर्ग तथा बेकारों में एकता कायम करें ।

प्रस्तावित औद्योगिक सम्बन्ध बिल के बारे में

सी० आई० टी० य० का यह सम्मेलन प्रस्तावित केन्द्रीय औद्योगिक सम्बन्ध बिल को नामंजूर करता है । क्योंकि यह धोखाधड़ी से भरा बिल जंगी मजदूर वर्ग, उनकी यूनियनों, उनकी बढ़ती हुई एकता और लड़कर हासिल किये गये ट्रेडयूनियन और जनवादी अधिकारों के खिलाफ है ।

फूट डालने, तोडफोड़ पदा करने, सरकारी संरक्षण देने, जुल्म और आतंक के कौशलों से जब सरकार का उदेश्य पूरा नहीं हुआ और जब एक-एक कारखाने, एक-एक इलाके और एक-एक उद्योग में संयुक्त कार्रवाइयाँ बढ़ती गईं और जब पाँचवीं योजना में जिस मजदूर वर्ग विरोधी और इजारेदारपरस्त बातों को कार्यरूप में परिणत करने के लिए खतरा पैदा हो गया । इस हालत में सरकार की यह शैतानी से भरी चाल इस बिल में चली गयी है । इसके जरिए सरकार मजदूर वर्ग के घोर संघर्ष के बाद हासिल किये गये अधिकारों को सरकार, मालिकों और नौकरशाहों के पास गिरवी रख देना चाहती है और औद्योगिक सम्बन्धों के क्षेत्र से जंगी यूनियनों का नामोनिशान मिटा देना चाहती है ।

प्रस्तावित बिल में नीची लिखी बातें हैं—

१. यूनियनों को रजिस्ट्री करने या उनकी रजिस्ट्री को रद्द करने के अधिकार को बढ़ाने के लिए सरकारी अफसरों को और अधिक अधिकार देना ।

२. यूनियनों के अन्दरूनी मामलों में सरकार का दखल देना, चुनाव, धनराशि की देखभाल और चंदे की दर तय करना वगैरह के मामले में यूनियनों के तमाम मेम्बरों के अधिकारों में दखल देना ।

३. मजदूर वर्ग के हड़ताल के अधिकार को पंगु बनाना और उन्हें अनिवार्य रूप से आरबिट्रेशन और एडजुडिकेशन मानने के लिए मजबूर करना । साथ ही मालिकों को मनमाना करने की आजादी देना ।

४. यूनियन की स्वीकृति के लिए दरखास्त करना और उनकी स्वीकृति को बनाये रखना, इन बातों को तथाकथित अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेज को मानने और पालन करने पर निर्भरशील बनाना जबकि इसकी वजह से जंगी यूनियनें स्वीकृति नहीं पायँगी और औद्योगिक झगड़ों में उन्हें कानून का सहारा नहीं मिलेगा, यूनियनें ट्रेड यूनियन आंदोलन की मानी हुई जनवादी गतिविधियाँ

नहीं चला सकेंगी। यह बिल हड़ताल तोड़ने के लिए दलालों को पूरा अधिकार देता है।

५. लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारियों द्वारा जाँच-पड़ताल के बाद यूनियनों को स्वीकृति देना।

६. यूनियनों की स्वीकृति या औद्योगिक झगड़ों के निपटारे के मामले में यह बिल मजदूरों के हाथ पैर बाँधकर इन्डस्ट्रियलरिलेशंश कमीशन या आरबिट्रेटरों के हाथ में सौंप देता है।

सी० आई० टी० यू० का यह सम्मेलन घोषित करता है कि ऊपर लिखी बातें ट्रेड यूनियन के अधिकारों और मजदूर वर्ग को पंगु बनाती है, मजदूरों पर सरकार-मालिक की बनाई दलाल यूनियनें लादने का इंतजाम करती है। बहस के लिए इस बिल को साधारण कायदे के मुताबिक इन्डियन लेबर कान्फ्रेंस के सामने उपस्थित न करने के लिए यह सम्मेलन केन्द्रीय सरकार की निंदा करता है। सम्मेलन माँग करता है कि इस बिल को पूरी तरह वापस लिया जाय और इसकी जगह एक नया बिल पेश किया जाय जिसमें नीचे लिखी बातें हों :—

(क) किसी भी प्रकार के औद्योगिक झगड़ों में पुलिस के दखल देने पर रोक लगाई जाय। औद्योगिक झगड़ों को 'कानून और शृंखला' की सीमा से बाहर रखा जाय।

(ख) दोतरफा बातचीत के अधिकार की पूरी स्वीकृति और हड़ताल करने का पूरा अधिकार।

(ग) बिना किसी शर्त के गुप्त वोट के द्वारा यूनियनों को स्वीकृति देना, साथ ही इस बात की व्यवस्था हो कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर अल्पसंख्यकों की यूनियनें समझौते की बातचीत में शामिल हों। लेकिन अंतिम समझौते की शर्तों को रद्द करने देने का अधिकार उन्हें न हो।

(घ) आकार-प्रकार या काम की प्रकृति या मालिकाना से परे इस बिल के मातहत सभी इस्टेब्लिशमेंट, फैक्ट्रियों, अन्डरटेकिंगस और सर्विसेश को शामिल किया जाय।

सम्मेलन सभी ट्रेड यूनियन संगठनों से अनुरोध करता है कि वे संयुक्त मोर्चा बनाकर सरकार की इस शैतानी भरी विश्वासघाती चाल को धूल में मिलायें जिसे वह भारतीय मजदूर वर्ग पर लादना चाहती है। वे सरकार को ऐसी

बातें मानने के लिए मजबूर करें जो जनवादी हैं और मजदूर वर्ग के हित का है।

सरकार के प्रस्तावों को एच० एम० एस० और ए० आई० टी० यू० सी० ने सीधे ठुकरा दिया है। इसलिए यह सम्मेलन उनका स्वागत करता है। सम्मेलन उनसे अपील करता है कि सामान्य लक्ष्य की प्राप्ति के लिए संयुक्त कार्रवाई के लिए वे आगे बढ़ें।

●

बिजली का अकाल

बिजली की पैदावार करीब-करीब ठप्प हो जाने से उद्योग एक तरह से से बन्द हो गए हैं, छोटे उद्योगों को घोर नुकसान पहुँचा है और खेतीबारी को क्षति पहुँची है, इसके लिए सीआईटीयू का यह सम्मेलन बहुत क्रोध प्रकट करता है और भारत सरकार को सीधे निन्दा करता है।

इससे हजारों बदलीवालों, अस्थायी लोगों, छोटे उद्योगों में काम करनेवालों को काम मिलना सोलहो आने बन्द हो गया है, औद्योगिक मजदूरों का बड़े पैमाने पर लेआफ किया जा रहा है और लाखों खेतिहर मजदूर बेकार हो गए हैं।

जरूरी चीजों का दाम अचानक बढ़ जाने से पिछले चार महीनों से हर तरह की आमदनी बन्द हो गई है और कर्ज मिलना भी बिल्कुल बन्द हो गया है। हर मजदूर परिवार के सामने भूख और दरिद्रता मुँह बाये खड़ी है अगर फौरन रिलीफ नहीं भेजा जाता है तो अकाल के जैसी हालत पैदा हो जाने का खतरा है।

जितनी बिजली पैदा होनी चाहिए और जितनी पैदा होती है इसमें अन्तर हर पाँचशाल योजना में बढ़ती जा रही है। परिस्थिति चरमसीमा पर पहुँच रही है। सूखा पड़ने की वजह से यह प्रक्रिया जल्द और गम्भीर होकर दिखाई पड़ी है।

सम्मेलन इस बात को दावे के साथ कहता है कि हजारों करोड़ों रुपये लगाने पर भी सारे देश में बिजली का अकाल पैदा हुआ है। इसी एकबात से बुर्जुआ योजना का दिवालियापन, ढीले ढ़ाले और गलत तरीके से योजना बनाना, बिजली स्टेशनों में भष्ट्राचार के चलते बहुत घटिया कोयले का इस्तमाल,

बिजली घरों की लापरवाही से देखभाल, विदेशी पूंजी से सहयोग करने की भारत सरकार की नीति का हानिकारक असर, विदेशी कर्ज और देश में मशीनें न बनाकर विदेशों से मशीन मगाने की निर्भरता वगैरह से बुर्जुवा योजना की कलई खुल गई है।

सर्वथी पन बिजली घर बन्द कर दिया गया है, तारापुर ऐटोमिक हाउस में गड़बड़ी पैदा हुई है, नेवेली में गुंजाएश से कम बिजली पैदा करना, उड़ीसा में चार बिजली स्टेशनों का बन्द होना, तमिलनाडु के बिजली घरों में गुंजाइश से कम बिजली पैदा होना—ये बात किसी न किसी रूप में ऊपर लिखी सच्चाई को ही प्रकट करती हैं।

सम्मेलन इस बात को बता देना चाहता है कि जब सरकार आज के पैदावार के लिए बिजली नहीं दे सकती है, उस हालत में पैदावार बढ़ाने के लिए चिल्लों मचाना अपने उन अपराधों पर पर्दा डालने की कोशिश है जिनके चलते वह संकट पैदा हुआ है।

यह सम्मेलन जोरदार शब्दों में ऐलान करता है कि सरकारी नीतियों और योजना के दिवालियेपन का बोझ अपने ऊपर लेने से मजदूर वर्ग इन्कार करता है। इसीलिए यह सम्मेलन माँग करता है कि—

१. मालिक, राज्य और केन्द्र सरकारें सभी तरह के मजदूरों को पूरी मजदूरी दें।

२. लेआफ के लिए जो हर्जाना दिया जाता है वह बदली वालों, अस्थायी मजदूरों और उन मजदूरों को भी दिया जाय जो पचास से कम मजदूरों से चलनेवाले कारखानों में काम करते हैं।

सम्मेलन मजदूरों को इस बात की चेतावनी देता है कि बिजली में कटौती के चलते बेकारी के लिए जो रिलीफ दी जाती है उसके बदले में मालिक और सरकार मजदूरों की प्राविडेंट फंड को मामूली आमदनी में कटौती करना चाहते हैं। ऐसा करके वे मजदूरों को रिलीफ देने की अपनी जिम्मेदारी से बच निकलना चाहते हैं। मजदूरों का ध्यान दूसरी ओर ले जाने की चालबाजी के बारे में और इसके खिलाफ एक होकर लड़ने के लिए मजदूरों को होशियार किये देता है।

एकता की चाह और यू० सी० टी० यू० का निर्माण

सी० आई० टी० यू० शुरू से ही एकता के लिए काम करता आ रहा है। उसका यह सम्मेलन एकता और संयुक्त कार्रवाइयों के मामले में मजदूर वर्ग ने जो सफलतायें हासिल की हैं उनका स्वागत करता है। मजदूर वर्ग के लिए एकता की बेहद जरूरत है और इसकी चाह की बात उन अनगिनत और लम्बी संयुक्त कार्रवाइयों से प्रकट होता है जिनमें भिन्न-भिन्न ट्रेड यूनियन केन्द्रों के मजदूरों ने सम्मिलित होकर अपनी माँगों के लिए तकलीफों और आतंकों का सामना किया।

इसी पृष्टिभूमि में ट्रेड यूनियनों का मई १९७१ का सम्मेलन हुआ। इससे मजदूरों में एकता की चाह प्रकट होती है। इस सम्मेलन में सम्मिलित होने वाले सी० आई० टी० यू० और दूसरों ने सभी ट्रेड यूनियन संगठनों को काम के एक मंच पर इकट्ठा होने का रास्ता दिखाया।

भारत सरकार के षड़यंत्र, एच० एम० एस० और ए० आई० टी० यू० सी० के नेताओं द्वारा सी० आई० टी०यू० और दूसरी जंगी संस्थाओं को विछिन्न करने की मनोकामना से जनता में जो आशा पैदा हुई थी वह भंग हो गई। ए० आई० टी० यू० सी० और एच० एम० एस० के नेता मोर्चे से निकल गये और आई० एन० टी० यू० सी० के साथ मिलकर तथाकथित 'नेशनलकाउन्सिल' बनाई जिसका काम यह था कि मजदूर विरोधी नीतियों को चालू करने में भारत सरकार को मदद की जाय।

गिरती हुई आर्थिक हालतों और इसके चलते अदम्य असंतोष की वजह से संघर्ष और व्यापक एकता काम करती गई। सी० आई० टी० यू० और दूसरे जंगी संगठनों ने एकता और संघर्ष की चाह पर भरोसा किया और 'काउन्सिल आफ ट्रेड यूनियन्स' का निर्माण हुआ।

संयुक्त जन-कार्रवाइयों के अन्दर से जो एकता पैदा हुई है, उसी का सांगठनिक रूप 'यूनाइटेड काउन्सिल आप ट्रेडयूनियन्स (यू० सी० टी० यू०) है। सम्मेलन की राय है कि आगे का विकास इस बात पर निर्भर करेगा कि यू० सी० टी० यू० में शामिल संस्थायें कितनी निष्ठा से कीमती एकता की रक्षा करती हैं और जो बयान स्वीकृत हुआ है उसके अनुसार काम करती हैं।

सम्मेलन की राय है कि यू० सी० टी० यू० का गठन और इसके बयान से मजदूरों के फौरी आर्थिक और जनवादी माँगों के लिये लड़ने के लिए मंच तैयार

होता है। बहुत सी संस्थाओं के सम्मिलित होने से ट्रेड यूनियन की कार्रवाइयों को चलाने के लिए सुभीता बहुत बढ़ जाता है और मौजूदा-अलग और स्थानीय स्तर पर संघर्ष के लिए अधिक सुनियोजित और केन्द्रीभूत प्रभावशाली संघर्ष के लिए सुभीता पैदा होता है।

सी० आई० टी० यू० अपनी सभी राज्य कमेटियों और यूनियनों से गम्भीरता पूर्वक अनुरोध करता है कि वे इस मंच को जनप्रिय बनाने लिए पूरी कोशिश करें, यू० सी० टी० यू० के नामपर एकता विकसित करें, जहाँ भी संभव हो यू० सी० टी० यू० की राज्य कमेटियाँ बनायें और विकसित होने वाले आंदोलनों को केन्द्रीय और संयुक्त रूप से पथ प्रदर्शन करें।

सम्मेलन इस बात को नोट करता है कि जन आंदोलन के विकास से और और सरकार की प्रतिक्रियाशील नीतियों के बढ़ने की वजह से आई० एन० टी० यू० सी० एच० एम० एस० ए० आई० टी० यू० सी० की मैत्री टूटती जा रही है। एच० एम० एस० और ए० आई० टी० यू० सी० ने प्रस्तावित इंडस्ट्रीयल रिलेशन्शबिल की जो निंदा की है उसका यह सम्मेलन स्वागत करता है और एच० एम० एस० और ए० आई० टी० यू० सी० से गम्भीरतापूर्वक अपील करता है कि वे एकता के रास्ते पर लौट आयें और सामान्य आंदोलन में अपना उचित स्थान ग्रहण करें।

●

संकटकाल और डी० आई० आर० को वापस लो

भारत-पाक युद्ध के वक्त घोषित किये गये भारत रक्षा कानून और राष्ट्रीय संकटकालीन हालत को जारी रखने के लिए अब कोई कारण नहीं है। इसलिए सी० आई० टी० यू० का यह सम्मेलन माँग करता है कि भारत रक्षाकानून और राष्ट्रीय संकटकालीन हालत को फौरन वापस लिया जाय।

इस सम्मेलन की निश्चित राय है कि काँग्रेस सरकार ने संकटकालीन हालत और भारत रक्षा कानून को इसलिए चालू रखा है कि उसका इस्तेमाल मजदूर वर्ग, किसानों और जनवादी आंदोलनों के खिलाफ किया जा सके। पश्चिम बंगाल में छापाखानों के मजदूरों की हड़ताल को गैरकानूनी करार देने के लिए भारत रक्षा कानून का इस्तेमाल इसी बात को साबित करता है। लोको मजदूरों की हड़ताल, सीम्पशन की हड़ताल, टेलीप्रिंटर्स की हड़ताल

इंजिनीयरिंग की हड़ताल और दूसरी बहुतेरी हड़तालों में भारत रक्षा कानून का इस्तेमाल किया गया है। हिन्दुस्तान टेलिप्रिंटर्स में मजदूरी में परिवर्तन के बारे में बातचीत होनेवाली है फिर भी भारत रक्षा कानून को वहाँ लागू रखा गया है।

सीआईटीयू का यह सम्मेलन भारत रक्षाकानून और राष्ट्रीय संकटकालीन हालत को फौरन वापस लेने की माँग करता है। सीआईटीयू का यह सम्मेलन सभी केन्द्रीय ट्रेड यूनियन संगठनों से अपील करता है कि इन कठोर कानूनों को जारी रखने के खिलाफ अपनी सम्मिलित आवाज बुलन्द करें।

●

जनता में फूट पैदा करने के हथकण्डों के बारे में प्रस्ताव

सी० आई० टी० यू० का सम्मेलन हिन्दुस्तान के मजदूर वर्ग और मेहनतकश जनता को यह चेतावाजी दे देना चाहता है कि बढ़ती हुई बेकारी, गिरती हुई आर्थिक हालतों, बढ़ते हुए असंतोष और जनता के विभिन्न हिस्सों द्वारा बढ़ते हुए प्रतिरोध को देखकर कांग्रेस पार्टी और शासक वर्ग जानबूझकर उग्र भाषा प्रेम और संकीर्णतावाद के हथियार का इस्तेमाल करके वर्ग एकजुटता और जनवादी संघर्षों की एकता को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। वर्ग और राष्ट्रीय एकता को तोड़ने के लिए 'धरती के लाल' और एक मात्र स्थानीय लोगों को नौकरी देने के नारे लगाये जा रहे हैं।

इस तरह के दृष्टि कोण के घातक परिणाम के बारे में यह सम्मेलन ट्रेड यूनियन आन्दोलन को होशियार किये देता है।

कांग्रेसी शासन में आसाम में अल्पमत वाले बंगालियों की हत्याएँ की गई हैं और इनके घर जलाये गये हैं। आसाम में प्रतिक्रियावादी अल्पमत वालों को भाषा को कुचलना, इस भाषा के माध्यम से शिक्षा पाना बन्द करना और बंगालियों को जबरदस्ती उनके नौकरियों और पेशों निकाल बाहर करना चाहते हैं। बहुतेरे मजदूरों, कर्मचारियों, शिक्षकों और दूसरे मेहनतकशों को उनके घरों से खदेड़ दिया गया है, कितने ही से जबरदस्ती इस्तीफा लिखाया गया है। कांग्रेस पार्टी के केन्द्रीय नेताओं की खुले आम मदद से नौकरियों को लेकर

तेलंगाना की निहित स्वार्थ वालों ने आंचलिक झगड़ा पैदा किया है जिसके चलते आन्ध्र में जनवादी और मजदूर वर्ग की एकता चौपट की जा रही है। आन्ध्र में वहीं के लोगों के एक हिस्से की जनता के साथ बेरहम भेदभाव बरता जा रहा है।

सम्मेलन चेतावनी देता है कि आसाम हो, आन्ध्र हो या दूसरी जगह हो सर्वत्र निहित स्वार्थवाले अपने स्वार्थों को बढ़ाने के लिए मेहनतकशों में फूट फैदा कर रहे हैं, मजदूर को मजदूर के खिलाफ, किसान को किसान के खिलाफ भड़का रहे हैं। जनता को राष्ट्रीय एकता का प्रवचन देनेवाले कांग्रेसी नेता और इाईकमाण्ड वाले सत्ता पर अधिकार जमाये रहने के लिए जान बूझकर राष्ट्रीय एकता में पैदा करते हैं। कांग्रेस पार्टी और उसकी सरकारों की इस घिनौनी भूमिका की यह सम्मेलन घोर निन्दा करता है।

सम्मेलन उनसे माँग करता है कि वे अपने राष्ट्रविरोधी, मजदूर वर्ग विरोधी जन विरोधी ध्वंसात्मक कार्रवाइयों को बन्द करें।

सम्मेलन इन इलाकों की जनता का ध्यान इस ओर खींचना चाहता है कि अगर वह मेहनतकशों के बीच झगड़े बन्द नहीं कराती है तो हिन्दुस्तान की जनता की जनवादी एकता, मजदूर वर्ग की वर्ग एकता को बहुत नुकशान पहुँचेगा।

सम्मेलन आसाम के मजदूर वर्ग, तेलंगाना और आन्ध्र के मजदूर वर्ग से अपील करता है कि अगर वे कांग्रेस पार्टी के षड़यंत्र को नहीं समझते हैं और उसे नहीं हराते हैं तो पूरा जनवादी आन्दोलन जमींदारों और निहित स्वार्थ वालों के हाथों में बन्दी बना रहेगा। बहुमत अल्पमत भाषा भाषी के ग्रूपों और अचलों के मेहनतकशों की एकता कायम करके कांग्रेस के षड़यंत्र को धूल में मिलाना होगा।

सम्मेलन की राय है कि अगर मजदूर वर्ग संकीर्णता वादी हमले को परास्त नहीं करता है और इस बात को महसूस नहीं करता है कि पूँजीपतियों और जमींदारों के कांग्रसी राज को खत्म करके ही बेकारी को समस्या का समाधान किया जा सकता है तो वह जनवाद और समाजवाद कुछ भी नहीं कायम कर सकेगा।

पाँचवीं योजना के बारे में प्रस्ताव

सी० आई० टी० यू० के इस सम्मेलन की राय है कि सरकार द्वारा ऊँची आवाज में प्रतिवाद और विपरीत बातें करने पर भी पाँचवी योजना की नीतियों की वजह से जनता की दीनता, गरीबी और बेकारी बढ़ेगी। धनियों और गरीबों के बीच अन्तर बढ़ेगा, स्वालम्बी विकासमान अर्थतंत्र का रास्ता साफ होने के बदले निर्भरता बढ़ेगी और इसका नतीजा यहाँ तक हो सकता है कि देश की आजादी खतरे में पड़ जाय।

बेकारी और गरीबी को दूर करने के संघर्ष में अगुवावर्ग की हैसियत से मजदूर वर्ग और ट्रेडयूनियनें इस बात से गहरी दिलचस्पी रखती है कि देश तेजी से आगे बढ़े और योजनाबद्ध तरीके से उसका विकास हो। यह बार बार देखा गया है कि जहाँ मजदूर वर्ग का सत्ता पर अधिकार है उन देशों में हर साल एक के बाद दूसरी सफलताएं होती चली जा रही हैं। इसके विपरीत सी० आई० टी० यू० का सम्मेलन इस बात को बताना चाहता है कि काँग्रेस की पिछली चार पाँचसाला योजनाएँ देश मेंमजदूर वर्ग और देहाती जनता के लिये सत्यानाशी साबित हुई हैं जिसका पता बेकारी, घोर गरीबी और दरीद्रता में बेहिसाब बढती से चलता है।

सम्मेलन की राय है कि इन योजनाओं की बुनियादी धारणायें गलत साबित हुईं हैं। क्योंकि इन योजनाओं ने सामंती जमींदारों से समझौते और विदेशी इजारेदारों पर भरोसा करके पूंजीवादी विकास का रास्ता अपनाया था। जिसके चलते देश और जनता को विकास को मन्द गति देखनी पड़ी।

सम्मेलन ऐलान करता है कि जिस दृष्टिकोण के चलते बेकारी और गरीबी बेहिसाब बढ़ी है उसे छोड़ा नहीं गया है बल्कि पाँचवीं योजना के लिए भी उसी को अपनाया गया है।

बार बार वादा किया गया है कि बुनियादी भूमि सुधार किये जायंगे और अतिरिक्त जमीन भूमिहीनों में बाँट दी जायगी। लेकिन इस योजना में इसका पता नहीं चलता। सम्मेलन की राय है कि यथार्थ भूमि सुधार के सिवा जल्द काम पाने का रास्ता नहीं है। विदेशों की बहुत ज्यादा मदद और विदेशी पूंजी का देश में लगाया जाना जारी रखा गया है। देश के इजारेदार पूंजीपतियों पर भरोसा करना जारी रखा गया है। इसके चलते बढ़ती की गति बहुत धीमी और नाममात्र होगी, बेकारों की संख्या बेहिताब बढ़ेगी। और पहले वाली योजनाओं की सारी बातें दिखाई पड़ेंगी। इस बात को

यह कहकर स्वीकार किया गया है कि "पाँचवीं योजना में जितने आदमी को काम मिलने की संभावना है काम पाने वाले लोगों की संख्या में बढ़ती अधिक होगी।" तकनीकी विद्यालयों में भरती होने वालों की संख्या घटाकर शिक्षित बेकारों की संख्या घटाने की बात कही गयी है। साधारण शिक्षा के क्षेत्र में भर्ती होनेवालों की संख्या "बहुत ज्यादा घटाई जायगी।" इससे पता चलता है कि योजना में माना गया है कि शिक्षित बेकारों की संख्या बहुत-बहुत ज्यादा बढ़ेगी। काँग्रेस पार्टी ने योजना के ऐप्रोचडोक्युमेंट में जो ध्वंसात्मक चाल अपनाई है उनके बारे में यह सम्मेलन मजदूर वर्ग और ट्रेड यूनियनों को होशियार किये देता है। इस बात को जानते हुए कि सरकार बेकारी और गरीबी को पूंजीवादी रास्ते पर चलकर दूर नहीं कर सकती है फिर भी ऐप्रोच डोक्यूमेंट में मेहनतकशों के हिस्से को दूसरे से लड़ाकर इजारेदारों और जमींदारों को मुनाफा लूटने की छूट दी गयी है।

इसीलिए पहले की योजनाओं की तरह धनियों और गरीबों में फर्क घटाने की बात इसबार नहीं कही गयी है। इसकी जगह पर जो लोग गरीबी की रेखा के ऊपर हैं और जो लोग नीचे हैं,जो लोग संगठित क्षेत्र में हैं और जो लोग असंगठित क्षेत्र में हैं, कल-कारखाने के मजदूर और देहातों के गरीबों, जो काम पर हैं और जो बेकार हैं, उनमें अंतर घटाने की बात कही गयी है। गरीबी की रेखा के नीचे वाले पूरी आबादी के तीस सैकड़ा लोगों, देहात के गरीबों और असंगठित मजदूरों को ऊपर उठाने और जो लोग गरीबी की रेखा के ऊपर हैं उनकी मजदूरी में बढ़ती का देना बन्द रखने की बात कही गयी है। जानबूझकर १९६०-६१ के दामों के ६७ सैंकड़ा का गरीबी की रेखा बताया गया है। ताकी पूरे औद्योगिक मजदूरों, असंगठित मजदूरों के विशाल हिस्सों को और देहात के गरीबों को गरीबी के स्तर पर रखा जाय क्यों कि वे फी आदमी ६७ पैसे से ज्यदा रोज खर्च करते हैं।

गरीबी की रेखा के जो नीचे हैं उन्हें गरीबी की रेखा तक पहुँचाने का इसका दावा झूठ साबित हुआ है। हाल में जिल्ली में होने वाले श्रममंत्रियों के सम्मेलन में केन्द्रीय श्रममंत्री के कहने पर बीड़ी मजदूरों के लिए १६५ रुपये माहवार की कम से कम राष्ट्रीय मजूरी की मांग ठुकरा दी गयी। यह मांग जनवरी १९६३ में चीजों के दाम के हिसाब से गरीबी की रेखा के नीचे की मांग थी। सम्मेलन में सिर्फ ९३ रुपये माहवार की मांग की सिफारिश की गयी।

ऐप्रोच डक्युमेंट का देहातों की गरीबी मिटाने की दावा एक धोखा साबित हुआ। क्योंकि इसने खेत मजदूरों के लिए सारे देश के पैमाने पर कम से कम

मजदूरी निश्चित करने को यह कह कर ठुकरा दिया कि इसे लागू करने में यह असमर्थ है।

बेकारी दूर करने की इसकी ख्वाहिश का भी इस बात से पर्दाफाश हो जाता है कि सारे देश के पैमाने पर तत्काल बेकारों को रिलीफ देने की बात को इसमें रद्द कर दिया गया है।

इस डोक्युमेंट में बेकारों और देहातों के गरीबों को अपना काम खुद ढूंढ़ निकालने की वकालत और सुझाते देने के वादे किये गये हैं। फिर भी जमीन बाँटने से लाखों आदमियों को खुद काम मिल सकता है इसकी बात नहीं कही गई है।

मजदूर वर्ग की मजदूरी के बारे में पहले की योजनाओं के सारे घोषित लक्ष्य, जैसे जरूरत के मुताबिक कम से कम मजदूरी की बात को रद्द कर दिया गया है और पैदावार बढ़ने पर मजदूरी बढ़ने की बात कही गई है। जब कि यह बात जाहिर है कि पैदावार बढ़ने से नौकरियाँ घटती हैं, मजदूरी पैदावार के मुकाबले बहुत पिछड़ी रहती है और यथार्थ मजदूरी घट जाती है।

गरीबी की रेखा के नीचे और गरीबी की रेखा के ऊपर, इस नये वर्गीकरण के द्वारा एप्रोच डोक्युमेंट ने बड़ी धूर्तता से इजारेदारों और मजदूरों को एक में शामिल कर लिया है ताकि इजारेदारों की सम्पति का राष्ट्रीयकरण न किया जाय और उनके अतिक्ति धन को न लिया जाय। नकली तरीके से इजारेदारों और मजदूरों को एक ग्रुप में शामिल करने पर भी एप्रोच डोक्युमेंट में सावधानी के साथ इजारेदारों के मुनाफे को ले लेने की व्यवस्था नहीं की गई है जबकि मजदूरों का मजदूरी के बारे में इसकी व्यवस्था की गयी है।

योजना में सड़कें बनाने, पीने के पानी देने, कुछ लोगों के लिए घर बनाने की बातें वगैरह यह कहकर किया गया है कि इससे देहातों की गरीबी और बेकारी घटेगी।

सम्मेलन इस बात की घोषणा करता है कि किसी सभ्य सरकार के लिए जिन कम से कम सुविधाओं को नागरिकों को देना निहायत जरूरी है, उसी को गरीबी और बेकारी को दूर करने के वादे को पूरा करना बताया जा रहा है और उसी के आधार पर लूट गरीबी और बेकारी के खिलाफ लड़ाई का रास्ता अपनाने वाले संगठित मजदूर वर्ग और मध्यम वर्ग पर हमले का आधार बनाया जा रहा है।

सम्मेलन इस बात को घोषित कर देना चाहता है कि पाँचवी योजना में एकबार फिर इस बात की कोशिश की गयी है कि टूटते हुए अर्थतंत्र का बोझ मजदूर वर्ग के कंधों पर लादने की कोशिश की गयी है।

मजदूर वर्ग इस बात को अच्छी तरह समझता है कि यद्यपि उसकी हालत खराब है फिर भी देहातों की जनता की हालत कांग्रेस की नीतियों के चलते और भी घृणित है।

मजदूर वर्ग इस बात को समझता है कि देहातों के गरीबों के स्वार्थों के समर्थन और उनके स्वार्थों की रक्षा किये बगैर वह न तो आगे बढ़ सकता है और न स्वार्थों की रक्षा ही कर सकता है।

सी० आई० टी० यू० का सम्मेलन ऐलान करता है कि राष्ट्रीय अग्रगति के लिए मजदूर वर्ग के पास अपना कार्यक्रम है—

१. खेत मजदूर, मजदूरों और असंगठित क्षेत्रवालों को कम से कम मजदूरी की गारंटी दिलाना।

२. बिना हर्जाने के सच्चा भूमि सुधार, अतिरिक्त जमीन को मुफ्त में भूमिहीनों और गरीब किसानों में बांटना।

३. बेकारों को बेकारी के लिए भत्ता।

४. शहरों के मजदूरों को जरूरत के हिसाब से कम से कम मजदूरी।

५. विदेशी कर्ज का देना मुलतवी रखना।

६. विदेशी और देशी इजारेदारों के कारोबार का राष्ट्रीयकरण।

७. अन्न का सारा थोक व्यापार सरकार अपने हाथ में ले। किसानों को उचित दाम दिया जाय। सभी जरूरी चीजें सबको उचित दाम की दुकानों से उचित दाम में दी जाय।

सम्मेलन की यह निश्चित राय है कि ऊपर लिखी बातों के आधार पर ही देश आगे बढ़ सकता है।

सम्मेलन सभी ट्रेड यूनियनों से अनुरोध करता है कि वे ऊपर लिखी बातों को समझें और मजदूर वर्ग, बेकारों और देहातों के गरीबों की बड़े पैमाने पर एकता को निर्माण के लिए काम करें। क्यों कि ऐसा न करने से ये मजदूर वर्ग से विछिन्न हो जायेंगे और इसका इस्तेमाल मजदूरों की एकता को तोड़ने के लिए किया जायगा।

रेलवे मजदूरों के बारे में प्रस्ताव

अपनी माँगों को हासिल करने के लिए सारे देश के रेलवे मजदूरों के संघर्ष का सी० आई० टी० यू० का यह सम्मेलन स्वागत करता है। सरकार द्वारा यूनियन को तोड़ने की कोशिशों के खिलाफ, हाईकोर्ट के फैसले को मानने से इन्कार करने के खिलाफ और गुण्डा, पुलिस सरकार के हमले के खिलाफ चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स के मजदूरों की लगातार लड़ाई का विशेष रूप से उल्लेख करना चाहिए। इसी तरह साउदर्न और साउथ सेन्ट्रल रेलवे के लोको रनिंग स्टाफ का डी० आई० आर० के इस्तेमाल कर बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियों और आंचलिक सेनाओं को लाने के बावजूद काम के घंटों को घटाने और दूसरी माँगों की लड़ाई उनकी कठोर प्रण को प्रकट करती है। यह सम्मेलन साउथ ईस्टर्न रेलवे के मजदूरों को बधाइयाँ देता है जिन्होंने हिमगिर में अपने सहकर्मियों की गोली द्वारा हत्या के प्रतिवाद में नेताओं द्वारा बागडोर खींची जाने पर भी प्रतिवाद किया।

यह सम्मेलन रेलवे मजदूरों की सही लड़ाइयों को रौंद देने की सरकारी कार्रवाइयों की नीति की घोर निन्दा करता है। समावेश और प्रदर्शन के लिए भी सरकार मजदूरों को सजा दे रही है। सरकार सजा के तौर पर तबादले कर रही है और सजा के दूसरे तरीके अख्तियार कर रही है। सरकार पुलिस की मदद से झूठे मुकदमें करवा रही है और रेलवे वालों के नेताओं को मिसा में नजरबन्द कर रही है। हड़तालों को बन्द करने के लिए भारत रक्षा कानून का इस्तेमाल किया गया है। जिन्होंने प्रतिबन्ध को तोड़ा है उनपर अदालत में मुकदमा चलाकर सजायें दी गयी हैं। सरकार ने आंचलिक सेना से ब्लेक लेग और हड़ताल तोड़ने वालों का काम लिया है। अपने उचित माँगों के लिए लड़ने वाले शान्तिपूर्ण रेलवे मजदूरों पर गोलियाँ चलाई गई है। यह सब रेलवे मजदूरों में आतंक पैदा करने और उन्हें घुटने टिकाने की बेकार कोशिशें हैं। सी० आई० टी० यू० संतोष के साथ इस बात को नोट करता है कि रेलवे मजदूर अपनी और माँगों को लेकर आगे बढ़े।

तीसरे पे कमिशन की सिफारिशों ने रेलवे मजदूरों की जरूरत के मुताबिक कम से कम तलब, मँहगाई भत्ते को सूचक अंक के साथ जोड़ना और जिन दूसरी माँगों के लिए रेलवे मजदूर आन्दोलन कर रहे थे, उन्हें ठुकड़ा दिया है। सरकार ने बोनस के बारे में अपने फैसले की घोषणा नहीं की है। संघर्षों के अन्दर से सामने आनेवाली युनियनों की स्वीकृति के बारे में फैसला नहीं किया गया है।

रेलवे वालों ने अपने संघर्षों के अन्दर से सरकार की मजदूर विरोधी नीतियों को देखा है और इस बात को महसूस किया है कि देश की जनवादी जनता का समर्थन प्राप्त कर मजबूती के साथ संयुक्त संघर्ष किये बगैर वे सरकार को अपनी नीतियाँ बदलने और उससे अपनी उचित माँगें हासिल नहीं कर सकते। यह सम्मेलन सभी जंगी रेलवे मजदूरों से अनुरोध करता है कि वे नीचे से विस्तृत आधार पर एकता कायम करें और अपने संघर्ष को आगे बढ़ायें।

सी० आई० टी० यू० सदा की तरह रेलवे मजदूरों की उचित माँगों की न्यायपूर्ण लड़ाई का समर्थन करता रहेगा।